बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)
दूरभाष/फैक्स रू 0612–2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई–मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा सूचना सं0– विपणन 10/2014–15

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में MNOOP मीनी मिशन–1 **योजना अन्तर्गत** राई/सरसो, मूँगफली के **प्रमाणित** बीज तथा सूर्यमुखी के संकर बीज उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक सभी सरकारी/राष्ट्रीय सहकारी/ निजी बीज उत्पादक कंपनी जिनका बीज ब्यापार में गत दो वर्षो में लगातार 2 करोड. प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/ राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो , वह निगम के वेवसाइट **brbn.bih.nic.in एवं www.krishi.bih.nic.in** से डाउन लोड कर अथवा बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय से कार्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। निविदा में भाग लेने हेतु अन्य अहर्त्ता एवं शर्त निविदा आवेदन पत्र में देखा जा सकता है।

निगम कार्यालय सें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि – **13.10.2014 को 12.30 बजे अपराह्न तक**

निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – **14.10.2014 को 02.00 बजे अपराह्न तक**

निविदा खोलने की तिथि एवं समय – **14.10.2014 को 03.00 बजे अपराह्न**

विपणन प्रमुख

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)
दूरभाष / फैक्स रू 0612–2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई–मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा सूचना संख्या– विपणन 10 / 2014–15

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बिहार राज्य के किसानों को MMOOP मीनी मिशन–1 **योजना** में राई / सरसो एवं मूँगफली / के प्रमाणित बीज तथा सूर्यमुखी के संकर बीज उपलब्ध कराने हेतु नीचे अंकित ब्यौरा के आनुसार 2014–15 में बीज के कय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	अनुमानित बीज की आवश्यकता (क्वीं0 में)	पैक साईज (कि.ग्रा. में)
1	राई / सरसो	प्रमाणित	जे.डी.–6, रागनी, आर.ए.यू.टी.एस.–17, राजेन्द्र सरसो–1	1684	2
2	मूँगफली	प्रमाणित	पूर्था (डी.एच.–86) वसुन्धरा (डी.एच.–101) टी. जी.–51, विजेता (आर. 2001–2), टी.जी.–38 बी.	450	4
3	सूर्यमुखी	संकर	के.वी.एस.एच.–1, के.वी.एस.एच–44, डी.आर.एस.एच.–1	471	2

निविदा में भाग लेने हेतु अहर्ता –

1. इच्छुक सभी सरकारी / राष्ट्रीय सहकारी / निजी बीज उत्पादन कम्पनी ,जिनका बीज व्यापार में गत दो वर्षों में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी / अर्द्धसरकारी / राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो ।
2. न्यूनतम 500 एकड़ स्वयं का निबंधित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है।
3. स्वयं का न्यूनतम 500 मैट्रिक टन बीज भंडारण के लिए वेयर हाउसिंग की क्षमता है।
4. स्वयं का न्यूनतम 2 मैट्रिक टन प्रति / घंटा प्रोसेसिंग इकाई है।
5. स्वयं का प्रोसेसिंग इकाई 2011 या इससे पूर्व के वर्षों से स्थापित है।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने के स्थिति में कम्पनी का स्वयं एवं डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैद्य अनुज्ञप्ति हो।
   नोट :– बिहार राज्य बीज निगम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से बीज का वितरण करने पर बिहार राज्य में बीज बिक्री की अनुज्ञप्ति अनिवार्य नहीं है।

शर्ते :–

1. उपर की कंडिक मे अंकित मात्रा न्यूनतम है। जिसमें राज्य की आवश्यकता के अनुरुप बढाया या धटाया जा सकता है।
2. आधार बीज के कय को प्राथमिकता दी जानी है।
3. निविदा द्वारा आवश्यकता से कम बीज मात्रा की उपलब्धता होने पर निगम अन्य निविदादाताओं से न्यूनतम प्रत्युत्तरदायी बोली दर पर अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा।
4. निविदा की संपूर्ण प्रकिया बिहार वित नियमावली संशोधन 2005 के प्रावधानों के अधिन की जायगी।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि –13–10 –2014 को अपराह्न 12.30 बजे तक।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि –14–10 –2014 को अपराह्न 02:00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क – 1000.00 नगद भुगतान पर अथवा निगम के बेबसाइट **brbn.bih.nic.in** से डाउनलोड करने पर रु1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा।
अग्रधन की राशि – रू0 5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना के पक्ष में तकनिकी निविदा के लिफाफा में ही जमा करना अनिवार्य है।
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान – दिनांक –14–10 –2014 को अपराह्न 03:00 **बजे** प्रबधं निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 के कार्यालय कक्ष में।

निविदा तकनिकी एवं वित्तीय मुल्यांकन समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना संख्या–विपणन–10 / 2014–15 अंकित करना , Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid, Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid एवं स्वयं का पता लिखना अनिवार्य है। इन लिफाफों को मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफा को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निगम मुख्यालय, पटना में निविदा बॉक्स में जमा करना होगा। सभी लिफाफे अलग–अलग मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

आवश्यकतानुसार निविदादाताओं के स्टॉक एवं गोदाम का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी मात्र कम या अधिक हो सकती है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रबधं निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 बिहार के पास सुरक्षित है।

विपणन प्रमुख

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)
दूरभाष / फैक्स रू 0612–2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई–मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना सं0 विपणन 10 / 2014–15

मनी रसीद सं0.. दिनांक ....
राशि रु0 1000 / – (एक हजार रुपये मात्र)
पार्टी का नाम एवं पता ....

रोकड़पाल का हस्ताक्षर

नोटः– निविदा प्रपत्र दिनांक 14.10.2014 को 02:00 बजे अपराह्न तक Technical Bid तथा Financial Bid अलग–अलग लिफाफा में मुहरबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग बड़े लिफाफे में विपणन प्रमुख को संबोधित एवं स्वयं का पता के साथ , मुहरबंद कर बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना में निविदा बॉक्स में डालना होगा। Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid तथा Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid लिखना है, साथ ही सभी लिफाफों को मुहरबंद करना है। मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

Technical Bid लिफाफा में निविदा पृष्ठ सं0–1 से 8 तक पैन संख्या तथा बिक्री कर (VAT) प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों के छाया प्रति के साथ डालकर बंद करें।

Financial Bid लिफाफा में निविदा पृष्ठ सं0–9 डालकर बंद करें।

विपणन प्रमुख

नियम एव शर्त्त

(क) तकनिकी निविदा हेतु:–

1. बिहार राज्य के लिए एम.एन.ओ.ओ.पी. योजना में नीचे अंकित ब्यौरा के आनुसार अनुशंसित बीज का प्रमाणित/संकर प्रभेद आपूर्ति करना होगा :–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	अनुमानित बीज की आवश्यकता (क्वीं0 में)	पैक साईज
1	राई/सरसो	प्रमाणित	जे.डी.–6, रागनी, आर.ए.यू.टी.एस.–17, राजेन्द्र सरसो–1	1684	2
2	मूँगफली	प्रमाणित	पूर्वा (डी.एच.–86) वसुन्धरा (डी.एच.–101) टी.जी.–51, विजेता (आर. 2001–2), टी. जी.–38 बी.	450	4
3	सूर्यमुखी	संकर	के.वी.एस.एच.–1, के.वी.एस.एच.–44, डी.आर.एस.एच.–1	471	2

इसके अतिरिक्त बिहार के लिए अन्य अनुशंसित प्रभेद का चयन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जा सकता है।

2 आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण जिलो में करने की स्थिति में कंपनी का स्वंय एवं उनके डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैध अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। बिहार राज्य बीज निगम लि0 के डीलर नेटवर्क से आपूर्ति के स्थिति में डीलर कमीशन समेत 10% एवं स्वयं के डीलर नेटवर्क से आपूर्ति किये जाने पर 2% कमीशन की कटौती हस्थालन मद में की जायेगी।

3. उपर की तालिका मे अंकित मात्रा न्यूनतम है। जिसमें राज्य की आवश्यता के अनुरुप बढाया या धटाया जा सकता है।

4 निविदा द्वारा आवश्यकता से कम बीज मात्रा की उपलब्धता होने पर निगम अन्य निविदादाताओं से न्यूनतम प्रत्युत्रदायी बोली दर पर अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा।

5 निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार वित नियमावली संशोधन 2005 के प्रावधानों के अधिन की जायगी।

6 निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली राई/सरसो, मूँगफली के प्रमाणित तथा सूर्यमूखी के संकर बीज के गोदाम की विवरणी भण्डारित बीज की गोदामवार मात्रा एवं भण्डारित गोदाम का नाम एवं पता तकनीकी निविदा के साथ अंकित करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

7 जिलावार राई/सरसो, मूँगफली के प्रमाणित तथा सूर्यमूखी के संकर बीज की मात्रा उस जिले के सभी प्रखण्डों में आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं अथवा बिहार राज्य बीज निगम के डीलर के माध्यम से रब्बी 2014–15 में स्टॉल लगाकर चयनित किसानों के बीच अनुमान्य अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

8 राई/सरसो 2 कि.ग्रा., मूँगफली 4 कि.ग्रा. के प्रमाणित बीज तथा सूर्यमूखी 2 कि.ग्रा. में संकर बीज कपड़ा थैला में पैक होगा। बीज का रासायनिक बीज उपचार करना होगा ।

9 आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा लॉटवार प्रेषण सुनिश्चित करना होगा जिसकी क्रमवार सूचना निगम को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगा।

10 जिला स्तर पर बीज आपूर्ति के पश्चात् चालान/जी0आर0 एवं विपत्र की प्रति जिला कृषि पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करवाकर आपूर्ति की अंतिम तिथि के पंद्रह दिनों के अन्दर जमा करने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी की होगी। सीधे निगम की आपूर्ति की स्थिति में बीज आपूर्ति चालान निगम को देना होगा। जिला कृषि पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कराने की जिम्मेवारी निगम की होगी।

11 कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये राई/सरसो, मूँगफली के प्रमाणित बीज तथा सूर्यमूखी के संकर बीज का नमूना अपने कार्य प्रखण्डों में आपूर्ति किये गये वाहन से लेकर संबंधित जिला के सक्षम पदाधिकारी प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजेंगे, नमूना अमानक आने पर उक्त लॉट का बीज का भुगतान नही किया जायगा एवं बीज अधिनियम–1966 के प्रावधान के अनुसार अन्य कार्रवाई की जा सकती है।